न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 4358–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनाक 8–10–12 एवं 17–10–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के कमशः प्रकरण कमांक 883/बी–121/2012–13 एवं अपील प्रकरण कमांक 1262/बी–121/11–12

1 नितिन जैन पिता श्री नरेन्द्र कुमार जैन
2 संदीप कुमार शर्मा पिता श्री नत्थूलाल शर्मा,
निवासीगण भिलोनीगंज, तहसील पवई, जिला पन्ना म0 प्र0

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

अनूप कुमार छिरोलिया पिता श्री रतन छिरोलिया
निवासी भिलोनीगंज, तहसील पवई, जिला पन्ना म0 प्र0

.....प्रत्यर्थी

श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, अनावेदक
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/02/2016 को पारित)

प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर प्रकरण सुनवाई में लिया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं अनावेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा के तर्क श्रवण किए गये।

2– यह अपील प्रकरण अपर आयुक्त सागर संभाग के पुनर्स्थापन प्र.क.883/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2013 एवं अपील प्रकरण कमांक 1262/बी–121/11 –12 में पारित आदेश दिनाक 17.10.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील में आक्षेपित आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश में अंकित तथ्यों को ही सही बताते हुए अपील निरस्त करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं किए गये निवेदन के क्रम में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता एवं प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता दिनांक 25.6.12 को अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित रहे, तथा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पूर्ण होने की टीप के साथ प्रकरण बहस हेतु दिनांक 5.7.12 को नियत किया गया। पेशी दिनांक 5.7.12 को शेष अभिलेख मंगाए जाने की टीप के साथ प्रकरण में पेशी 12.7.12 नियत की गयी। दिनांक 12.7.12 को अभिभाषक संघ की हड़ताल होने के कारण प्रकरण में अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हुए तथा पेशी दिनांक 6.8.12 अपर आयुक्त द्वारा नियत की गयी। दिनांक 6.8.12 को प्रकरण में टीप अंकित है कि प्रति.अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित अपीलार्थी अधिवक्ता श्री दुबे अनुपस्थित प्रकरण में तर्क हेतु अपीलार्थी अधिवक्ता को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है, और पेशी दिनांक 16.8.12 नियत की गयी। इसके बाद की तीन पेशिया 16.8.12, 28.8.12 पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा 3.9.12 की पेशी पीठासीन अधिकारी के जबलपुर में होने के आधार पर रीडर द्वारा ही बढायी जाकर दिनांक 14.9.12 नियत की गयी। दिनांक 14.9.12 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2011 पर अंतिम तर्क हेतु दिनांक 29.9.12 को नियत किया गया। दिनांक 29.9.12 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण पत्रिका में यह टीप अंकित की गयी कि अपी0 अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित प्रकरण में तर्क श्रवण हेतु समय मांगा दिया गया और पेशी दिनांक 6.10.12 नियत की गयी। दिनांक 6.10.12 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में पेशी दिनांक 17.10.12 अपर आयुक्त के प्रवाचक द्वारा बढायी जाकर नियत की गयी। दिनांक 17.10.12 को अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में यह अंकित करते हुए कि अपीलार्थी पिछली कई पेशियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रकरण में अब रूचि नहीं है और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि प्रथमतः तो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.10.12 को अदम पैरवी में खारिज किए जाने संबंधी आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गयी इसके साथ ही यह तथ्य भी

विचारणीय है कि पेशी दिनांक 12.7.12 को अधिवक्ता संघ की हड़ताल के कारण अधिवक्तागणों की अनुपस्थिति में पेशी दिनांक 6.8.12 नियत की गयी थी जिसकी विधिवत सूचना अधिवक्तागणों एवं अपीलार्थी को दी जाना चाहिए थी किन्तु इस संबंध में कोई सूचना न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी अधिवक्ता को दिया जाना प्रकरण में नहीं पाया गया है। जो विधि एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

अपीलार्थी को प्रकरण के अदम पैरवी में खारिज होने की सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनर्स्थापन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 7.8.13 को विधिवत धारा 5 के आवेदन एवं शपथपत्र के साथ अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो अपर आयुक्त द्वारा उसे भी आदेश दिनांक 8.10.13 से यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी अदम पैरवी प्रकरण को खारिज करने संबंधी आदेश 17.10.12 के पूर्व में भी कई पेशियों में अनुपस्थित रहा है अतः अदम पैरवी में खारिजी का आदेश उचित है, और पुनर्स्थापन आवेदन भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेशों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं सहज न्याय के सिद्धांतों की मंशा को न समझते हुए उनके विपरीत आदेश पारित किए गये है, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इस संबंध में (लक्षमण प्रसाद विरूद्ध गोल्हई 1992 रा.नि. 24 पैरा 5) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ''कोर्ट रीडर या आयुक्त कोर्ट के सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा दी गयी तारीख पर गैर हाजिरी नहीं मानी जायेगी, उस तारीख पर हाजिर होना बाध्यकर नहीं है''। इसी प्रकार (नीरज सिह वि. रामजी 1990 रा.नि. 308) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ''पीठासीन अधिकारी या जज जब न्यायालय में उपस्थित न हो तब कोर्ट की ओर से पक्षकारों को सूचना की तामील करायी जावेगी, हाजिरी का दायित्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही है''। इसके अतिरिक्त (मोतीराम विरूद्ध राम सिंह 1983 रा.नि. 417) में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि ''सुनवाई के दिन छुट्टी का दिन था, अन्य दिनांक की सूचना नहीं दी गयी, मामले का पुनः स्थापन ठीक किया गया''। इस प्रकार अदम पैरवी में खारिज किए जाने संबंधी आदेश 17.10.12 के ठीक पूर्व दिनांक 6.10.12 को अपर आयुक्त की अनुपस्थिति में दिनांक 17.10.12 की तिथि प्रवाचक द्वारा बढायी गयी थी। वहीं दिनांक 12.7.12 को भी पेशी अधिवक्तागणों की अनुपस्थिति में उनके हड़ताल पर होने की स्थिति में बढायी जाकर दिनांक 6.8.12 लगायी गयी थी जिसकी भी सूचना विधिवत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गयी थी, जबकि उन्हें इसकी सूचना विधिवत अपीलार्थी को दी जाना चाहिए थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अदम पैरवी में प्रकरण को खारिज करने संबंधी आदेश दिनांक 17.10.12 किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। इस संबंध में (बल्देव वि0 म0प्र0 राज्य 1999 रा.नि.214 (श्री एच.जी.ओभराय, पीबीआर, आदेश 41 नियम 19

सीपीसी अपील को रेस्टोर करना चाहिए) एवं (लक्षमण प्रसाद विरूद्ध गोल्हई 1992 रा.नि. 24 पैरा 5) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "वकील की त्रुटि से संबंधित मामलों में पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, उसे ऑन मैरिट न्याय प्राप्त करने के लिए मामले की आगे गुणदोष पर सुनवाई की जाना चाहिए एक पक्षीय स्थापना आदेश या त्रुटि में मामला खारजी का आदेश निरस्त किया जाना उचित होगा"।

अतः उपरोक्त न्याय सिद्धांतों के अनुसरण में अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 8.10. 13 एवं 17.10.12 को विधि की मंशा एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, अदम पैरवी में खारिज अपील प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 से आगामी आदेश तक के लिए स्थगन आदेश जारी किया गया था चूंकि स्थगन जारी दिनांक 21.11.11 को संहिता की धारा 52 में संशोधन न होने के कारण संशोधन से पूर्व स्थगन आदेश आगामी आदेश तक के लिए जारी किया गया था अब संहिता की धारा 52 में 30.12.11 के संशोधन के कारण तीन माह से अधिक का एक बार में स्थगन नहीं दिया जा सकता ऐसी स्थिति में पूर्व से जारी स्थगन को आगामी तीन माह के लिए पूर्ववत जारी रखने के आदेश के साथ अपर आयुक्त के अपील प्रकरण कमांक 1262/अपील/बी–121/11–12 को विधिवत सुनवाई एवं निराकरण हेतु पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिए जाते हैं। अपील स्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर